राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक .प. 17(19) नविवि/नियम/2019   जयपुर, दिनांक 14 SEP 2020

आदेश

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 और इसी अनुरूप स्थापित होने वाली इकाईयों को प्रोत्साहित करने हेतु नगरीय क्षेत्रों में भू–रूपान्तरण या अन्य छूट एवं सुविधा प्रदान करने के लिए निम्न आदेश प्रदान किए जाते हैं :–

1. शहरों में प्रभावी व ड्राफ्ट मास्टर प्लान में प्लांटेशन बैल्ट, ईकोलोजिकल जोन व ईकोसेन्सेटिव जोन, रिक्रिएशन जोन (पार्क, प्ले ग्राउण्ड आदि) तथा उदयपुर मास्टर प्लान में दर्शाये गये जी–2 जोन को छोडकर अन्य सभी भू–उपयोग में उपरोक्त वर्णित योजनाओं यथा कृषि प्रसंस्करण, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात हेतु स्थापित होने वाले उद्योग अनुज्ञेय होंगे।

2. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 37 के तहत छूट प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कृषि प्रसंस्करण, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात हेतु प्रस्तावित उद्योगों हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के आवेदन के साथ भूमि अवाप्ति में न होने, कोर्ट में वाद लंबित न होने, भूमि का टाईटल निर्विवादित होने, भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने बाबत शपथ पत्र लिया जाकर, शपथ के आधार पर 90–ए का आदेश जारी किया जावे। भूमि संबंधित निकाय के नाम दर्ज की जाकर नियमानुसार ले–आउट प्लान/साईट प्लान अनुमोदित कर जारी किया जावे। अनुमोदन पश्चात उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को गलत पाये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर ली जावेगी एवं अनुज्ञा/अनुमोदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

3. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 37 के अंतर्गत राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात हेतु प्रस्तावित योजनाओं के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक ईकाईयों पर लीज रेंट आवासीय कीमत का 2.5 प्रतिशत निर्धारित किए जाने एवं कृषि जिन्सों हेतु बनाये जाने वाले वेयर हाउसिंग एवं गोदाम तथा कोल्ड स्टोरेज लीज रेंट में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

4. ऊपर वर्णित श्रेणी के ईकाईयों/उद्योगों हेतु एकीकृत भवन विनियम, 2017 के विनियम 7.1 के अंतर्गत भवन मानचित्र शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव, प्रथम

Scanned with CamScanner